न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – राजेश कुमार न्योल, आर.ए.एस.)

रण संख्या :– 144 / 2024

यर दिनांक :– 01.10.2024

र्णय दिनांक :– 13/08/25

1. रुकमण देवी पत्नि देवीलाल जाति तेली निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

:—बनामः—

देवकिशन पुत्र नारायण जाति अहिर निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

राजस्थान राज्य जरिये भुमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से –श्री रमेशचन्द्र अहीर, अधिवक्ता

विपक्षीगण की ओर से – एक पक्षीय कार्यवाही

दिनांक 13/08/25

....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 एल. आर. एक्ट

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

—:निर्णय:—

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 एल. आर. एक्ट के प्रस्तुत किया कि ग्राम कुरज पटवार हल्का कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में प्रार्थीया की आ. सं. 6092/1560 कुल किता 01 कुल रकबा 0.8094 हे.भूमि के पूर्व दिशा में विपक्षी संख्या 01 की आ. सं. 1568 रकबा 1.2869 हे. भूमि स्थित होकर प्रार्थीया की आ. सं. 6092/1560 के उत्तर, दक्षिण व पश्चिम दिशा में विपक्षी सं. 2 की आ. सं. 1560 रकबा 4.9129 हे. भूमि स्थित हैं। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति पेश हैं। ग्राम कुरज पटवार हल्का कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में विपक्षी संख्या 01 के स्वामित्व की आराजी संख्या 1568 रकबा 1.2869 हैक्टयर भूमिया स्थित हैं। प्रमाण में वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न हैं। प्राथी की आराजी संख्या 6092/1560 के उत्तर, दक्षिण व पश्चिमी दिशा में विपक्षी संख्या 02 आराजी संख्या 1560 रकबा 4.9129 हेक्टयर भूमि स्थित है। प्रार्थिया की आराजीयात व विपक्षीगण की आराजीयात के उत्तर, दक्षिण एवं आंशिक पश्चिम दिशा में उक्त भूमिया स्थित हैं। जो भूमिया विपक्षीगण संख्या 01 के स्वामित्व की खातेदार अधिकार की भूमिया स्थित हैं। प्रमाण में वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न हैं। प्रार्थी की आराजी संख्या 6092/1560 एवं विपक्षीगण की आराजी संख्या 1560 व 1568 भूमि स्थित हैं। प्रमाण में नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न हैं। प्रार्थीया की आराजी संख्या 6092/1560 व विपक्षीगण की आराजी सं. 1560 व 1568 के बिच में कोई स्थाई थोहर बाड अथवा कोई स्थाई सीमांकन चिन्ह नही होने से प्रार्थी को अपनी आराजी का उपयोग—उपभोग करने में समस्याऐ उत्पन होने से प्रार्थी अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी की सीमा जानकारी हेतु तहसीलदार महोदय रेलमगरा को आवेदन किया गया जिस पर उनके द्वारा पटवारी हल्का से दिनांक 12/06/2024 को सीमा जानकारी करवाई गई किन्तु प्रार्थी उक्त सीमा जानकारी से संतुष्ट नही हैं। प्रार्थी अपने आराजी के स्थाई चिन्ह लगवाना चाहता है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं। प्रार्थी के द्वारा दिनांक 12/06/2024 को अपनी उक्त संयुक्त आराजीयात की सीमा जानकारी करवाई गई तथा विपक्षीगण संख्या 01 को स्थाई सीमांकन चिन्ह लगाने हेतु कहा गया तो विपक्षीगण के द्वारा प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजी के बीच स्थाई चिन्ह लगाने से इनकार करने से प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र का हेतुक दिनांक 12/06/2024 से से उत्पन होकर जारी हैं। विपक्षी संख्या 01 प्रार्थी का संयुक्त खातेदार और प्रकरण में शामील नही होने से प्रफोर्मा बनाया गया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

है तथा विपक्षी संख्या 02 भूमिधारक होने से आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया किन्तु विरुद्ध दाद नही चाही गयी हैं। इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 के बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इनके विरुद्ध दिनांक 13/08/2025 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि प्रार्थी के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि एवं विपक्षी संख्या 01 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि के मध्य सीमा सम्बन्धी विवाद है और विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का सीमांकन कराये जाने का हक अधिकार निहीत हैं।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,129,111 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम कुरज पटवार हल्का कुरज स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 6092/1560 एवं विपक्षीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 1560 व 1568 विपक्षीगण संख्या 01 की आराजी संख्या 1560 व 1568 के मध्य पत्थरगढी कराये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने के आदेश दिये जाते है व तहसीलदार रेलमगरा को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष प्रार्थी एवं विपक्षीगण को सूचित करते हुए उभय पक्ष की उपस्थिति में बिना किसी का कब्जा प्रभावित किये पत्थरगढी कराया जाना सुनिश्चित करावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौका कमिश्नर शुल्क 1500/—रुपये अदा करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13/08/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द

क्रमांक / कोर्ट / राजस्व प्रकरण / 2025 / 31 दिनांक 15/9/25

प्रतिः—
तहसीलदार रेलमगरा

विषयः—निर्णय एवं डिक्री अनुसार पालना हेतु। पत्रावली

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नीचे अंकित प्रकरण में डिक्री व निर्णय दिनांक 13 / 08 / 2025 की प्रमाणित प्रति की छाया प्रति साथ संलग्न करा भिजवायी जा रही हैं।

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	उनवान		निर्णय दिनांक	नाम ग्राम
			वादी / प्रार्थी	प्रतिवादी / अप्रार्थी		
1	144 / 2024	पा.पत्र	रूकमणदेवी	देवकिशन	13 / 08 / 2025	कुरज

अतः आप उक्त मामले में दिगर कोई अन्य मामला ना हो तो डिक्री व निर्णय दिनांक 13 / 08 / 2025 के अनुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

आज्ञा से

उपखण्ड अधिकारी

रेलमगरा

रीडर

उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा